

प्रारूप-ग
(नियम 3 (1) देखिये)
अनुज्ञा

प्रति,

मो० मुस्लिम खान
आ० मो० इमाम
निवासी-ग्राम खड़गवां प०ह०नं० 11
थाना व तहसील खड़गवां
जिला एम.सी.बी (छ०ग०)।

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

---00---

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 26.09.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 13.12.2024 को जारी किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :- सागौन 03 नग, है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खसरा नम्बर 420/2 ग्राम खड़गवां पटवारी हल्का नम्बर 11 तहसील खड़गवां स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन 03 नग, है को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कैलेंडर वर्ष तक मान्य रहेगी।



पृ०क्रमांक/749 /वाचक-1/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (छ०ग०) की सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल एम.सी.बी.(छ०ग०) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. तहसीलदार खड़गवां जिला एम.सी.बी.(छ०ग०) की ओर सूचनार्थ। वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)

खड़गवां जिला एम.सी.बी. (छ०ग०)

खड़गवां, दिनांक 15-05-2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा०)

खड़गवां जिला एम.सी.बी. (छ०ग०)